

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/जोन उदयपुर/1545-21560/2023/

दिनांक:-

—:आदेश:—

वित्त विभाग के मेगोरैण्डम क्रमांक F.1(3)FD(Rules)/2017 जयपुर दिनांक: 05 Feb 2018 के अनुसरण में राजस्थान सेवा नियम के नियम-8 के निर्णय संख्या 5 मे उपलब्ध प्रावधानो के अंतर्गत भगवती पुंजोत, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, बीसीएमओ, सागवाड़ा डुंगरपुर का नाम 'भगवती पुंजोत' के स्थान पर 'भगवती जोशी' परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/जोन उदयपुर/1545-21560/2023/373 दिनांक:- 11-09-2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-उदयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डुंगरपुर को उनके पत्र क्रमांक 4692 दिनांक 17.07.2023 के क्रम मे प्रेषित कर लेख है कि कार्मिका के समस्त सेवा अभिलेख मे कार्मिका का नाम 'भगवती पुंजोत' के स्थान पर 'भगवती जोशी' संशोधित करे।
3. संबंधित कार्मिक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
5. आदेश निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर